न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- मांगीलाल (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :- 130/2023
राजस्व प्रार्थना पत्र :- अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. जलमसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत निवासी रोहिणा तहसील घंटियाली जिला जोधपुर

प्रार्थी.....

बनाम

1. घूड़सिंह पुत्र बुलीदानसिंह जाति राजपूत निवासी रोहिणा तहसील घंटियाली जिला जोधपुर
2. जयरूपाराम पुत्र धूड़ाराम जाति विश्नोई निवासी रोहिणा तहसील घंटियाली जिला जोधपुर

अप्रार्थीगण....

उपस्थितः-

1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री विजय तंवर अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से

निर्णय

दिनांकः- 06.10.2023

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध मजबूत आधारों का एक नियमित वाद अन्तर्गत धारा 53,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थी का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त होने से सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है यदि प्रार्थी को अपने हिस्से की कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल कर दिया जाता है तो उससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं है। नैसर्गिक न्याय के तीनों आधारभूत सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में होने से उक्त वाद में प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी-पूरी उम्मीद है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 395 रकबा 15.7746 हैक्टेयर किस्म बारानी-4 भूमि सरहद मौजा रोहिणा पटवार क्षेत्र रोहिणा तहसील घंटियाली में स्थित है। जिसे वाद में आगे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया जायेगा। नकल जमाबंदी सम्वत 2075-2078 व नक्शा लट्ठ संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 395 रकबा 15.7746 हैक्टेयर में प्रार्थी को 1/8 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1 को 1/2 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 2 को 3/8 हिस्सा बंट में आता है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का अपने अपने हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार

शांतिपूर्वक चला आ रहा है, इसी अनुसार मौके पर प्रार्थी की अपनी रहवासीय ढाणी इत्यादि बने हुवे एवं उक्त रहवासीय ढाणी में प्रार्थी अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करता आ रहा है तथा प्रार्थी प्रत्येक वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। प्रार्थी ने अपने हिस्से की भूमि में खाद बीजा वगैरा डालकर आधुनिक तरीके से तैयार किया है। उक्त भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में सामलाती है। अप्रार्थीगण अपनी कब्जा काश्त वाली भूमि को छोड़ कर प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में सामलाती रहने प्रार्थी को काश्त करने में भंयकर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिये प्रार्थी ग्राम उपरोक्त विर्णित भूमि का बंटवाड़ा अपने एवं अप्रार्थीगण के मध्य बाई मिण्टस एण्ड बाउण्ड्स में करवा कर इसी अनुसार ही नक्शा लट्ठ में तरमीम करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी का उक्त भूमि में अपने द्वारा खाद बीज वगैरा डालकर तैयार की गई भूमि पर कब्जा व काश्त आज दिन शांतिपूर्वक चला आ रहा है। लेकिन वर्तमान में जमीनों की कीमते अत्यधिक बढ जाने की बजह से अप्रार्थीगण के मन में बदनियत जागृत हो गई इसलिये वर्तमान में अप्रार्थीगण आपसी सहमति का बंटवाड़ा करवाने से इनकार हो गये है और प्रार्थी द्वारा तैयार की गई उक्त खसरा की सम्पूर्ण अच्छी भूमि पर कब्जा कर प्रार्थी द्वारा तैयार की गई भूमि से प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है। अपने इसी नापाक इरादों से दिनांक 04.06.2023 को अप्रार्थीगण प्रार्थी के द्वारा तैयार की गई भूमि में आये और प्रार्थी को धमकी दी की हम तुम्हारे हिस्से की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर तुम्हे बेदखल कर देंगे। उस दिन तो प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को समझा बुझा कर वहां से निकाल दिया लेकिन जाते हुए अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को धमकी दी कि आईन्दा हम पुनः आकर तुम्हे उक्त भूमि से बेदखल कर देंगे। अप्रार्थीगण अपने उपरोक्त नापाक इरादों में सफल होने हेतु लगातार प्रयत्नशील है अगर अप्रार्थीगण उपरोक्त अपने नापाक इरादों में सफल हो जाते है तो प्रार्थी को अपने खातेदारी अधिकारों का कुठाराघात होगा, जिसका मूल्यांकन रूपयों से नहीं किया जा सकता और न ही क्षतिपूर्ति ही संभव है। प्रार्थी गरीब एवं असहाय व्यक्ति है तथा अप्रार्थीगण साधन सम्पन्न एवं प्रभावशाली है जिसका मुकाबला करने में प्रार्थी असमर्थ है। इसलिये अप्रार्थीगण को जरिये कानून रोका जाना अतिआवश्यक है। अतः अस्थाई निशेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी की जावे की ग्राम रोहिणा पटवार क्षेत्र रोहिणा तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 395 रकबा 15.7746 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी के चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो अप्रार्थीगण स्वंय करे और न ही किसी अन्य से करावें जिसका यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश है।

सहायक कलेक्टर
बाप (कसाणी)

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गयी कि अप्रार्थीगण राजस्व ग्राम रोहिणा पटवार क्षेत्र रोहिणा के खसरा नंबर 395 रकबा 15.7746 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो स्वंय करे न ही किसी अन्य से करावे एवं मौके व राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थी संख्या 2 की और से अधिवक्ता श्री विजय तंवर उपस्थित आये तथा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 1 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार है-

प्रार्थी ने अप्रार्थी के विरूद्ध अवश्य यह दावा न्यायालय में पेश किया है परन्तुत वादी का वाद न तो तथ्यों एवं न ही दस्तावेजात से साबित प्रतीत हो रहा है नैसर्गिग न्याय के तीनों आधारभूत सिद्धान्त प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी एवं अप्रार्थी सहखातेदार है एवं अपनी अपनी हिस्सा की भूमि पर पिछले 22 वर्षो से स्वतंत्र कब्जा काश्त है सुविधा का सन्तुलन जरदाता एक किसान है और खेती करके अपना गुजर बशर करता है इसलिए जरदाता को स्थगन की आड़ में मूल अधिकारों से वंचित करना न्यायोचित नहीं है स्थगन जारी न होने से प्रार्थी को होने वाली रिष्टी की तुलना में स्थगन जारी होने से जरदाता को होने वाली रिष्टी अधिक होगी जो कि जरदाता के किसान अधिकारों को प्रभावित करती है। अपूरणीय क्षति जरदाता द्वारा वादग्रसत भूमि में अपना कब्जा काश्त हिस्सा पर फसल काश्त करने या कृषि विकास कार्य करने से प्रार्थी को ऐसी किसी प्रकृति का नुकसान नहीं हो रहा जससे कि उसकी भरपाई या मूल्यांकन नहीं किया जा सके। प्रार्थी को कपोल कल्पित वाद/प्रार्थना पत्र में सफलता मिलने की दूर-दूर तक कोई उम्मीद नहीं है। वाद में वर्णित भूमि संयुक्त खातेदारी की है परन्तु जरदाता अपनी भूमि पर खरीद के दिन से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं वादी के साथ जरदाता का सीमा या कब्जे का विवाद नहीं हुआ। वाद में वर्णित खसरान् की भूमि में प्रार्थी 1/8 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा एवं जरदाता का 3/8 हिस्सा के खातेदार है। जरदाता का अपनी खातेदारी की 3/8 हिस्सा भूमि पर रहवासी ढाणी क्यादि बनाया हुआ है तथा खूटे रोपकर अपनी भूमि घेरी हुई है जिसमें खाद बीज डलकर भूमि को उपजाउ बनाया हुआ है एवं पिछले 20-22 वर्षो से हर वर्ष प्रकृतिक फसल का उपयोग उपभोग लेता आ रहा है प्रार्थी ने उक्त वाद/प्रार्थना पत्र के जरिये जरदाता को हैरान परेशान कर उसकी भूमि हथियाने की गरज से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। जरदाता ने इस प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में अपना 3/8 हिस्सा प्रार्थी के भाईयों एंव माता से खरीद किया था बेचान के दिन

उनके द्वारा दिये गये कब्जे के अनुसार ही अनरदाता आज दिन तक उसी जगह पर रहवासी ढाणी इत्यादि बना कर अपने परिवार के साथ रहता आ रहा है अनरदाता कभी भी प्रार्थी की कब्जा काश्त भूमि में दखल नहीं किया गया और न ही प्रार्थी उक्त भूमि का आपसी सहमति का बंटवाड़ करने का प्रस्ताव लेकर अनरदाता के पास आया उल्टा प्रार्थी अनरदाता की टुकड़े रोपकर घेरी हुई अनरदाता की कब्जा काश्त भूमि पर जबरन काबिज होने के लिए नये-नये हथकंडे अपना कर अनरदाता को उसकी जमीन से बेदखल करने पर आमादा होने लगा है जिसका की उसको कोई अधिकार नहीं है अनरदाता ने प्रार्थी के भाईयों एवं माता से उक्त भूमि 23 वर्ष पूर्व खरीद करके हमेशा से अपने हिस्से की भूमि काश्त कर शांतिपूर्वक जीवन यापन करता आ रहा है अनरदाता ने प्रार्थी के कब्जा काश्त हिस्से में कभी दखल किया ही नहीं परन्तु अनरदाता की कृषि योग्य उपजाउ भूमि देखकर प्रार्थी के मन में यह बदनियत आ गई कि येन केन अनरदाता की भूमि पर अतिक्रमण कैसे किया जाए उसी गरज से प्रार्थी यह दावा/प्रार्थना पत्र लेकर आया। अनरदाता इस वाद में वर्णित भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार है वर्षों से अपने हिस्से की भूमि अनवरत कब्जा काश्त चला आ रहा है अनरदाता न तो साधन सम्पन्न शक्तिशाली रहा है एवं न अनरदाता की कोई राजनैतिक पहुंच है एवं न अनरदाता की पहचान एक किसान की रही है एवं वह अपनी वर्षों पुरानी खरीदशुदा भूमि पर प्राकृतिक फसल पैदावार से अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा है प्रार्थी केवल मात्र अपने गलत मंसूबों में कामयाब होने के लिए मिथ्यावर्णित तथ्यों पर आधारित यह प्रार्थना पत्र पेश कर अनरदाता के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाना चाहता है जिसका कि प्रार्थी को कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मिथ्यावर्णित तथ्यों पर निर्भर है एवं न्याय के तीनों आधारभूत सिद्धान्तों से परे है इसलिए प्रार्थी अनरदाता के विरूद्ध रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी नहीं है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भारी हर्जे खर्चे से खारिज किये जाने के आदेश फरमावें।

बहस वकुलाय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। उक्त प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दृष्टांत पेश किए जो निम्न प्रकार है-

1. 2004(1) RRT 667
2. 2010(1) RRT 221
3. 2004(1) RRT 607
4. 2021(1) RRT 333
5. 1996 RRD 148

पत्रावली में संलग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी एवं अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से पेश उक्त दृष्टांतो का अवलोकन किया गया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है-

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

ग्राम रोहिणा पटवार हल्का रोहिणा के खाता संख्या 124 सम्वत् 2075-78 की जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी और अप्रार्थीगण अभिलिखित सह खातेदार है। प्रार्थी और अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत 53,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जैरकार है। संयुक्त काश्तकारी के चलते भूमि के प्रत्येक इंच पर प्रार्थी और अप्रार्थीगण का अधिकार है यद्यपि प्रत्येक के पास कृषि भूमि का कौनसा विशिष्ट भाग होगा, इसका निर्धारण वादपत्र के निस्तारण के पश्चात ही किया जा सकता है। अप्रार्थीगण के अभिलिखित काश्तकार होने के कारण अपने हक व हिस्से की हद तक आराजी के उपयोग का अधिकार है।

अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में भली भांति साबित नहीं होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना और जवाब प्रार्थना, जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित सहकाश्तकार है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण जारी की जाती है तो अप्रार्थी अपने प्राथमिक अधिकारों यथा आराजी के उपयोग-उपभोग, बैंक ऋण और हक व हिस्से की हदतक बेचान आदि सुविधाओं से वंचित हो सकते है। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूंकि न्यायालय हजा में प्रार्थीया का दावा अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुवे है। अतः न्यायालय के हस्तक्षेप न करने के परिणामस्वरूप अनुतोष ईप्सित करने वाले प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति नहीं होगी।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित नहीं होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 19.06.2023 को खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाबता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मांगीलाल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)